उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

S.A.R. Appeal No.- 62/2010-11

(i) यह अपीलवाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धालभूम, जमशेदपुर द्वारा आर0पी0 केस नं0–11/2009–10 में दिनांक 31.07.2010 को पारित आदेश के खिलाफ है।

(ii) अपीलार्थी– बासता सोरेन पिता–स्व0 हिन्दु सोरेन, ग्राम–करनडीह, गाईता टोला, थाना–परसुडीह, जिला–पूर्वी सिंहभूम एवं

(iii) प्रतिवादी – शेखर सोरेन, पिता–श्री शांखो सोरेन, ग्राम–करनडीह, गाईता टोला, थाना–परसुडीह, जिला–पूर्वी सिंहभूम है।

(iv) भू–वापसी हेतु भूमि का विवरण निम्नप्रकार है:–
मौजा–करनडीह, थाना नं0–1166, खाता नं0–16, प्लॉट नं0–460 रकवा–17'x 27' है।

आदेश

1. यह S.A.R. Appeal आवेदन दिनांक 23.08.2010 को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर द्वारा R.P. Case No.-11/2009-10 में दिनांक 31.07.2010 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी Basta Soren द्वारा दाखिल किया गया है।

2. निम्न अदालत अभिलेख R.P.Case No.-11/2009-10 में दिनांक 31.07.2010 को पारित प्रश्नगत आदेश में उल्लेखित है, कि "उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, विपक्षी द्वारा समर्पित कारण–पृच्छा, अंचल अधिकारी, जमशेदपुर का जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :– प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे खतियान में में कुँवर मांझी, भादा मांझी तथा सिखर मांझी पिता शंख मांझी अंश समान तथा जमाबंदी भी उनके नाम पर कायम है। उक्त भूमि पर दुकान अवस्थित है। प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी का दखल–कब्जा वर्ष 2000 से है। अंचल अधिकारी द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71A के तहत् भूमि वापसी की कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है। प्रश्नगत भूमि अनुसूचित जनजाति खाते की जमीन है। प्रश्नगत भूमि का हस्तांतरण बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति से किया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का हस्तांतरण में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनिमय की धारा–71A में भूमि वापसी का व्यापक दायरा दिया हुआ है जिसके अनुसार यदि किसी भी समय उपायुक्त के ध्यान में यह आवे कि धारा–46 या अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है या किसी भी कपटपूर्ण

25/2/2016

विधि से किसी आदिवासी रैयत की भूमि का अंतरण हुआ है तो भूमि वापसी की कार्रवाई की जा सकती है। वैसे भी छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71A के प्रावधान आदिवासी रैयत के हितों की रक्षा के लिए है। 2004(3) JLJR (SC) 103 [2004 (3) PLJR (SC) 212] में मान्नीय उच्चतम न्यायालय एवं 2005 (3) JLJR Page No.-477 में मान्नीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा Rulings दी गई है कि यदि अवैध रूप से दखल करने वाले व्यक्ति ने किसी आदिवासी रैयत की भूमि पर उक्त प्रावधान को परास्त करने के नियत से कोई structure (संरचना) खड़ा कर दिया है तो ऐसे मामलों में क्षतिपूर्ति भी देय नहीं होगी। मेरा अभिमत है कि स्पष्टतः इस वाद में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71A आकर्षित होती है चुँकि इसमें छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 का उल्लंघन हुआ है। अतः उक्त धारा के तहत आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–करनडीह, थाना नं0–1166, खाता नं0–16, प्लॉट नं0–460, रकवा–17'x27' (अंचल अधिकारी, जमशेदपुर के प्रतिवेदनानुसार) से विपक्षी बसंत सोरेन, पिता–स्व0 हिन्दु सोरेन, निवासी–करनडीह, थाना–परसुडीह, अंचल–जमशेदपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम को हटाकर उसका दखल–कब्जा खतियानी रैयत के जीवित उत्तराधिकारी को वापस दिलाया जाय। तदनुसार अंचल अधिकारी, जमशेदपुर को दखल–दिहानी परवाना निर्गत करें।"

3. अपीलार्थी बासता सोरेन द्वारा दिनांक 23.08.2010 को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, धालभूम, जमशदेपुर द्वारा आर0 पी0 केस नं0–11/2009–10 में दिनांक 31.07.2010 को पारित आदेश के खिलाफ दाखिल अपील आवेदन, दिनांक 26.12.2013 को समर्पित written argument एवं list of document (a) Original Affidavit executed by Jogen Soren S/O Late Kuwar Soren on 20.08.2010 at Jamshedpur. regarding the land of Mouza Karndih bearing Khata No.-16, Plot No.-460, (b) Original Affidavit executed by Kuwar Soren S/O Late Shankho Soren on 23.08.2010 regarding the land of Mouza Karndih bearing Khata No.-16, Plot No.-460 का अवलोकन किया।

4. प्रतिवादी शेखर सोरेन द्वारा दिनांक 28.02.2013 को समर्पित written statement, दिनांक 26.09.2013 को समर्पित written argument एवं list of document (a) Xerox copy of Khatian, (b) Xerox copy of Rent receipt , (c) Xerox copy of Jharkhand Land Act., (d) Xerox copy of Jharkhand Cases report. का अवलोकन किया।

5. निम्न अदालत अभिलेख में उपलब्ध (i) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धालभूम, जमशेदपुर के पत्रांक–1791 दिनांक 22.09.2010 के आलोक में अंचल अधिकारी, जमशेदपुर के पत्रांक 73, दिनांक 15.01.2010 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि :– "प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे खतियान में कुँवर मांझी, भादा मांझी तथा सिखर मांझी पिता संख मांझी अंश समान तथा जमाबंदी भी उनके नाम पर कायम है। उक्त भूमि पर दुकान है। दुकान का अनुमानित मूल्य 1,60,000/–रू0 प्रतिवेदित है। प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी का दखल–कब्जा वर्ष 2000 से है। प्रश्नगत भूमि का हस्तांतरण वैधिक नहीं है।

25/2/2016

अंचल अधिकारी द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71A के तहत् भूमि वापसी की कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।"

(ii) आवेदक शेखर सोरेन के द्वारा दिनांक 05.09.2009 को निम्न न्यायालय में प्रश्नगत भूमि का restoration of possession के लिए दाखिल आवेदन का अवलोकन किया।

(iii) विपक्षी बासता सोरेन के द्वारा दिनांक 18.05.2010 को निम्न न्यायालय में दाखिल कारण–पृच्छा एवं list of document (a) Xerox copy of full bench dicision 1983 BBC Page 254 to 300 Ranchi bench, (b) Xerox copy of 1993(1) PLJR Ranchi bench Page 548 to 551 का अवलोकन किया।

6. एस0 ए0 आर0 अपील आवेदन, written statement, written argument, निम्न अदालत अभिलेख एवं उसमें पारित प्रश्नगत आदेश, जाँच प्रतिवेदन, कारण–पृच्छा, सम्पूर्ण अभिलेख उसमें उपलब्ध कागजातों, संबंधित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया जिससे प्रतीत होता है कि :– प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत कुँवर मांझी, भादा मांझी तथा शिखर मांझी पिता संख मांझी हैं। प्रतिवादी शेखर सोरेन खतियानी रैयत शिखर मांझी के पोता हैं। प्रश्नगत भूमि Record of Rights में छपरबंदी दर्ज नहीं है। अतः अपीलार्थी का प्रश्नगत भूमि के छपरबंदी होने के संबंध में किया गया दावा निराधार है। अपीलार्थी और प्रतिवादी दोनों आदिवासी हैं। अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया कि प्रश्नगत भूमि पर अवस्थित मकान का क्रय उसके पूर्वज ने प्रतिवादी के पूर्वज से वर्ष 1955 में किया परन्तु इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। यह भी स्पष्ट है कि हस्तांतरण हेतु धारा–46 अन्तर्गत अनुमति प्राप्त नहीं की गयी। अतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर धारा–46 का उल्लंघन कर दखल किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा R.P. Case No.-11/2009–10 में दिनांक 31.07.2010 को पारित प्रश्नगत आदेश को यथावत रखते हुए अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यो में व्यस्तता के कारण आदेश आज दिनांक 25.02.2016 को पारित किया जा रहा है।

लेखापित एवं संशोधित

25/2/2016

उपायुक्त
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

25/2/2016.

उपायुक्त
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

C LCR of R.P. case no. 11/2009-10 sent to DCLR GSR vide memo. no. 1172(B)/L 01/07/16.

Issued copy 4/2/16.